सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 18 फाल्गुन, 1943 (श०) / 09 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1)	ग्रामीण विकास विभाग - -	01
(2)	पंचायती राज विभाग - -	01
	कुल योग --	02

कार्रवाई करना

50. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के बेरोजगार जीवन-यापन हेतु दूसरे प्रदेशों में नौकरी/रोजगार की तलाश में जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्यों से पलायन रोकने एवं उनके ही पंचायत में वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा की स्थापना की गई थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा का बजट 40 प्रतिशत तक कटौती की गई है एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारिक आँकड़ों के अनुसार काम माँगने के बावजूद काम नहीं देने में बिहार प्रथम स्थान पर है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनरेगा के उद्देश्यों को मूलत: लागू करने हेतु काम माँगे जाने पर काम नहीं देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय देना

51. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 डाका)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 31 जनवरी, 2022 तक मुख्यमंत्री नल-जल योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 86 हजार परिवार के हाऊस होल्ड सर्वे में 89 लाख 56 हजार परिवार को कनेक्शन दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को प्रति परिवार 30 रुपया लेने का प्रावधान है । इसके अनुसार राज्य में 89 लाख 56 हजार कनेक्शन वाले परिवारों से प्रतिमाह 26 करोड़ 86 लाख राशि प्राप्त होने की जगह मात्र 5 लाख 52 हजार परिवार के केवल । करोड़ 65 लाख रुपया प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है तथा राशि की वसूली कम होने के कारण वार्ड सचिवों का मानदेय भी भुगतान नहीं किया जा रहा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने तथा टैक्स वसूली में असफल वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये वार्ड सचिवों को बकाया मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) वस्तुस्थिति यह है कि हर घर नल-जल योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र (PRD+PHED) में कुल लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवारों को सतत् जलापूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । माह जनवरी, 2022 तक पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित पंचायतों में लगभग 91 लाख परिवारों तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा लगभग 79 लाख परिवारों को जलापूर्ति उपलब्ध करायी जा चुकी है । शेष बचे हुये वार्डों/बसावटों में पेयजल आपूर्ति प्रक्रियाधीन है ।

(2) अंशत: स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पेयजलापूर्ति योजना के तहत आच्छादित परिवारों से अनुमान्य 30 रुपये प्रतिमाह उपभोक्ता शुल्क की वसूली की जानी है । उक्त वसूली गयी उपभोक्ता शुल्क की राशि विभागीय संकल्प 2935, दिनांक 22 जून, 2021 में आलोक में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में राशि को जमा किया जाना है ।

उपर्युक्त क्रम में संदर्भित है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग एवं संवेदीकरण करते हुये क्षमतावर्द्धन किया जा रहा है । "बिहार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन कार्य संचालन नियमावली, 2017" में वर्णित प्रावधान के आधार पर वार्ड सचिवों के लिये मानदेय की अनुमान्यता नहीं है ।

(3) वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिकाओं में स्पष्ट की गयी है ।

पटना :
दिनांक 9 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 105(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550